न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 90 सन 2017

अनवान :—

1. विमला देवी पत्नी खूवराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भागोदेवी पत्नी छोटूराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. मनसादेवी पत्नी रामजीलाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. चन्द्रमुखी पत्नी पृथ्वीसिह जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

वादीयान—

बनाम

1. मुरली पुत्र बेगाराम जाति नाई निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा खाता तकसीम अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादीयान

निर्णय दिनांक :— 13.12.2017

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीयान ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 65/66 के प0न0 387/474(61) के किला न0 6/0.253 ,7/0.253 ,8/0.253 ,13/0.253 ,14/0.253 ,15/0.253 कुल 1.5180हैक भूमि स्थित है जिसमे वादीयान सख्या 1 ता 4 बहिब 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है वादभूमि का खाता मुश्तरका हे जिसके कारण सीव लगान आदि का तनाजात रहता है इसलिये वादियान मुश्तरका खाता से अपना खाता व लगान अलग अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादीयान ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वाद भूमि जो राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाता में दर्ज है का अपने हक हिस्सा के अनुसार खाता व लगान अलग अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लेवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर मुश्तरका खाता से मुश्तरका खातेदारों के हक हिस्सा व कब्जा फरीकेन के अनुसार खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे।

वादीयान का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर राजस्व लोक अदालत कैम्प गोगामेडी में मजमे आम में वाद वादीयान दिनांक 24.05.2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को वाद भूमि का मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर वादीयान व प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार तजबीज तकसीम रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया ।

आदेश दिनांक 24.05.2017 की अनुपालना में तहसीलदार नोहर के द्वारा मौका कमीश्नर रिपोर्ट तैयार पेश की जाकर शामिल मिसल की जाकर वकील वादी का सुना गया।

SAzaidi 13.12.2017

वकील वादी के अधिबक्ता ने निवेदन किया की तहसीलदार नोहर की मौका कमीश्नर रिपोर्ट पर किसी प्रकार का ऐतराज नही है तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज किया जाात है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने वकील वादी को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वादीयान व प्रतिवादी संख्या 1 मुश्तरका खाता में खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसका हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता विभाजन चाहा गया था जिसकी पालना में तहसीलदार नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर मौका रिपोर्ट चाही गई तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका कमीश्नर रिपोर्ट पर वादीयान को ऐतराज नही है।

अतः तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका कमीश्नर रिपोर्ट पर ऐतराज पेश नही होने के कारण वाद वादीयान तहसीलदार नोहर की मौका कमीश्नर रिपोर्ट के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादीयान संख्य 1 ता 4 विमला देवी पत्नि सुखराम, भागीदेवी पत्नि छोटुराम , मनशादेवी पत्नि रामजीलाल , चन्दमुखी पत्नि पृथ्वीसिह जाति जाट साकिन खातेदार रोही मौजा चक 9 जीजीएम के प0न0 387/474(61) किला न0 6 ,7 ,8/0.759 हैक नहरी भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 मुरली पुत्र बेगराज जाति नाई निवासी ढिलकी जाटान खातेदार रोही मौजा चक 9 जीजीएम के प0न0 387/474(61) किला न0 13 ता 15/0.759 हैक नहरी भूमि के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे। ईजराय आदेश के सलग्न 100/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

SAZaidi

(सैयद शीराज अली जैदी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज़ अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. विमला देवी पत्नी खूवराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 भागोदेवी पत्नी छोटूराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3 मनसादेवी पत्नी रामजीलाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4 चन्द्रमुखी पत्नी पृथ्वीसिह जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

वादीयान–

बनाम

1 मुरली पुत्र बेगाराम जाति नाई निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर ।
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 90 सन 2017 निर्णय दिनांक 13.12.2017

आज यह वाद मुझ पीठासीन अधिकारी " उपखण्ड अधिकारी नोहर " के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं पेरोकार की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर तहसीलदार नोहर की मौका कमीश्नर रिपोर्ट के अनुसार वाद वादीयान डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादीयान संख्य 1 ता 4 विमला देवी पत्नि सुखराम, भागीदेवी पत्नि छोटुराम , मनशादेवी पत्नि रामजीलाल , चन्दमुखी पत्नि पृथ्वीसिह जाति जाट साकिन खातेदार रोही मौजा चक 9 जीजीएम के प0न0 387/474(61) किला न0 6 ,7 ,8/0.759 हैक नहरी भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 मुरली पुत्र बेगराज जाति नाई निवासी ढिलकी जाटान खातेदार रोही मौजा चक 9 जीजीएम के प0न0 387/474(61) किला न0 13 ता 15/0.759 हैक नहरी भूमि के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे। ईजराय आदेश के सलग्न 100/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.12.2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से में जारी की गई।

SAZaidi

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)